राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1387/2016/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय, वृत्त–प्रतिकरापवंचन, जोधपुर ...अपीलार्थी

बनाम

मै. सत्यनारायण सुरेश कुमार,
सी–17, मण्डोर रोड, जोधपुर ...प्रत्यर्थी

अपील संख्या–1388/2016/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय, वृत्त–प्रतिकरापवंचन, जोधपुर ...अपीलार्थी

बनाम

मै. दीपचन्द जवरीलाल, मण्डोर रोड,
जोधपुर ...प्रत्यर्थी

अपील संख्या–1389/2016/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय, वृत्त–प्रतिकरापवंचन, जोधपुर ...अपीलार्थी

बनाम

मै. दीपचंद जवरीवाल,
जी–16–6, के.यू.एम., मण्डोर रोड, जोधपुर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.आर.सिघंवी
अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.04.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा ये तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 31.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत्त–प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति आदेशों के विरूद्व प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति आपास्त की है। प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	अपील सं.	वर्ष	कर निर्धारण आदेश दिनांक	शास्ति
1	02/आरवेट/जेयूए/15–16	14–15	16.02.15	1,84,500
2	09/आरवेट/जेयूए/15–16	14–15	25.05.15	1,80,000
3	33/आरवेट/जेयूए/14–15	14–15	16.02.15	2,76,750

2. अपील प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 13.01.2005 को रेलवे भगत की कोठी, जोधपुर पर ट्रांसपोर्ट/रेलवे चैकिंग के दौरान 45

लगातार.....2

बोरी कालीमिर्च परिवहनित/आयातित पायी गयी। चैंकिग व जांच सत्यापन पर रेलवे एजेन्टों द्वारा निम्नांकित रेलवे रसीदें एवं घोषणा पत्र वेट 47 आयातित/परिवहनित कालीमिर्च के लिये प्रस्तुत किये :–

क्र. सं.	आर.आर.नम्बर	घोषणा पत्र वेट–47 संख्या	जारीकर्ता
1	936271 दिनांक 07.01.15	A 4360050 वास्ते रू 6,12,000	मैसर्स सत्यनारायण सुरेश कुमार, मण्डोर मण्डी, जोधपुर
2	939962 दिनांक 04.03.15 939939 दिनांक 03.03.15 939961 दिनांक 04.03.15	A 4713618 वास्ते रू 1,75,000 A 4713620 वास्ते रू 1,80,000 A 4713619 वास्ते रू 1,80,000	मैसर्स दीपचन्द जवरीलाल, मण्डोर मण्डी, जोधपुर
3	936258 दिनांक 05.01.15 936287 दिनांक 09.01.15	A 4713616 वास्ते रू 5,49,000 A 4713617	मैसर्स दीपचन्द जवरीलाल, मण्डोर मण्डी, जोधपुर

परिवहनित आयातित माल आढत बिक्री के लिये आना जाहिर किया। प्रस्तुत दस्तावेजों समस्त वैट–47 के पार्ट–ए जिसमें प्रेषक का नाम पता एवं हस्ताक्षर आदि नहीं पाये गये। इस संबंध में अपीलार्थियों/एजेन्टों से पूछताछ एवं जांच कर माल प्रेषक एवं आर.आर एन्डोर्सकर्ता की पहचान/सत्यापन करवाने के लिये निर्देशित किया परन्तु प्रेषक एवं आर.आर बेचानकर्ताओं के संबध में कोई दस्तावेज, प्रामण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जांच अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेज राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 की धारा 76(2)(a) के अनुसरण में नहीं होना मानते हुए वाद कायम कर अन्य कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बाद सुनवाई धारा 76(6) के अनुसार शास्ति कायम की गई जिसके विरूद्व व्यवहारियों द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने संयुक्त आदेश दिनांक 31.12.2015 द्वारा अपीलें स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति अपास्त की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह तीनों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उपरोक्त तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....3

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। उन्होंने बताया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी आढत में बिक्री हेतु माल के लिये जो रेलवे से आया है, जिसके लिये राजस्थान वेट अधिनियम की धारा 76(2)(a) के तहत वांछित विधि रूप से आवश्यक दस्तावेज घोषणा पत्र वैट 47 होने के बावजूद भी अनाधिकृत रूप से रोका गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जाली (fake) एवं अपूर्ण मानते हुए करापवंचन का संदेह प्रकट किया जबकि प्रस्तुत घोषणा पत्र वेट 47 विभाग द्वारा जारी किये गये जिनके उपयोग की सूचना अपीलार्थीयों द्वारा विधिक प्रावधानो के अनुसार प्रत्येक तिमाही को प्रयुक्त घोषणा पत्रों की प्रतियों के विभाग में नियमानुसार प्रस्तुत किया जाता है। इन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरणों में परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 प्रस्तुत किये गये थे परन्तु वैट–47 के पार्ट ए में प्रेषक का नाम अंकित था व पता अपूर्ण था तथा प्रेषक के हस्ताक्षर नहीं पाये गये थे। घोषणा पत्र अपूर्ण पाये जाने एवं प्रेषक/बिल्टी बेचानकर्ता की पहचान नहीं करवाने एवं भौतिक सत्यापन पर ब्राण्डेड कालीमिर्च पैकिंग में होने से प्रेषक का माल होने के संदेह में तथा बिल नहीं होने से धारा 76(2)(a) के अनुसरण में वांछित विधिक दस्तावेजों एवं प्रेषक के अस्तित्व में होने के सत्यापन के अभाव में शास्ति आरोपित की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने वैट–47 को बोगस या जाली प्रमाणित नहीं किया है। जहॉ तक प्रस्तुत घोषणा पत्र वेट–47 के पार्ट–ए अपूर्ण होने का कथन है कि कर्नाटक के व्यक्तियों/काश्तकारों द्वारा आढत बिक्री के लिये रेलवे से प्रेषित माल अपीलार्थी के आढत में भेजा जाना/परिवहनित किया जाना पूर्व निर्धारित नहीं था। प्रेषक व्यक्ति/उसके अधिकृत व्यक्तियों द्वारा रेलवे रसीद डिलीवरी हेतु पृष्ठांकित की गयी जिस कारण वैट 47 के पार्ट–ए की उपलब्ध सूचना तक भरे गये शेष कॉलम अपूर्ण जिनकी कमी/पूर्ति नहीं किये जाने का समुचित कारण है। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत निर्णय स.वा.क.अ. बनाम रेबी कास्टिंग प्रा.लि. में यह मत अभिनिर्धारित किया है कि :–

"Material particulars" namely quality, weight, description of goods, value, name of trasporter, name of consignor and consignee have been duly filled in apprehension of department that the Form could have been re-used, is not sustainable only because invoice no. and date was left to be filled in, in any opinion, the Form could not have been re-used."

२८

लगातार..................4

उपरोक्तानुसार all material particulars भरे होने पर प्रस्तुत घोषणा पत्र को अपूर्ण नहीं माना जाना निर्णित किया। साथ ही परिवहनित बिक्री के लिये आयातित माल के लिये विधिक रूप से वांछित घोषणा पत्र प्रस्तुत किये। अपीलाधीन प्रकरण उक्त न्यायिक दृष्टांत से आच्छादित है। प्रस्तुत घोषणा पत्रों में वैट 47 मैटेरियल विवरण यानी रेलवे रसीद संख्या, माल की विगत, तादाद, कीमत एवं प्रेषक का नाम उल्लेखित है। अतः उपरोक्त आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

9. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य